रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1545] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2009/ आश्विन 3, 1931
No. 1545] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2009/ASVINA 3, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2009

का.आ. 2461(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (छठा संशोधन), आदेश, 2009 है ।

(2) यह 1 अक्तूबर, 2009 को प्रवृत्त होगा ।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण की बाबत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तुओं अर्थात् खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों, चावल, दालों और धान के लिए 30 सितम्बर, 2010 तक की और अवधि या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।

3. इस आदेश की कोई बात खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों, चावल, दालों और धान का राज्य से बाहर स्थानों को परिवहन, वितरण या व्ययन को प्रभावित नहीं करेगी और न ही इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार आयातकर्ताओं को यह निदेश दे सकेंगी कि वे इन वस्तुओं के स्टॉकों की प्राप्तियों और उनके द्वारा धारित स्टॉकों की घोषणा करें ।

स्पष्टीकरण : यदि कोई थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या व्यवहारी यह प्रदर्शित करने में समर्थ है, कि खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों, चावल, दालों और धान के संबंध में उसके स्टॉकों का भाग आयातों से प्राप्त किया गया है, तो उन्हें स्टॉक सीमाओं की संगणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा ।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी सपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 के अन्य सभी उपबंध उपर्युक्त खंड 2 में वर्णित अवधि के दौरान भी प्रवर्तन में बने रहेंगे।

[फा. सं. 10/1/2006-ई सी आर एण्ड ई]

राकेश कक्कड़, अपर सचिव

टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 104(अ), तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. 490(अ), तारीख 16 जून, 2003, का.आ. 1373(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006, का.आ. 297(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007, का.आ. 1488(अ), तारीख 31 अगस्त, 2007, का.आ. 400(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008, का.आ. 823(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2008, का.आ. 2117(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008,

का.आ. 2118(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008, का.आ. 2247(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008, का.आ. 2248(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008, का.आ. 2249(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008, का.आ. 649(अ), तारीख 9 मार्च, 2009, का.आ. 880(अ), तारीख 30 मार्च, 2009, का.आ. 905(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009, का.आ. 906(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009 और का.आ. 1621(अ), तारीख 2 जुलाई, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 25th September, 2009

S.O. 2461(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely :—

1. (1) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Sixth Amendment) Order, 2009.

(2) It shall come into force on the 1st day of October, 2009.

2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, edible oils, edible oilseeds, rice, pulses and paddy for a further period upto 30th September, 2010 or further orders, whichever is earlier.

3. Nothing contained in this Order shall affect the transport, distribution or disposal of edible oils, edible oilseeds, rice, pulses and paddy to places outside the State, nor shall it be applicable to import of these commodities :

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of these commodities and stocks retained by them.

Explanation : If a wholesaler or retailer or dealer is able to demonstrate that part of his or her stocks in respect of edible oils, edible oilseeds, rice, pulses and paddy are sourced from imports, then they shall be excluded for the purpose of calculation of stock limits.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above.

[F. No. 10/1/2006-ECR & E]

RAKESH KACKER, Addl. Secy.

Note:— The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* numbers G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 490(E), dated the 16th June, 2003, S.O. 1373(E) dated the 29th August, 2006, S.O. 297(E) dated the 27th February, 2007, S.O.1488(E) dated the 31st August, 2007, S.O. 400(E) dated the 28th February, 2008, S.O. 823(E) dated the 7th April, 2008, S.O. 2117(E) dated the 27th August, 2008, S.O. 2118(E) dated the 27th August, 2008, S.O. 2247(E) dated the 22nd September, 2008, S.O. 2248(E) dated the 22nd September, 2008, S.O. 2249(E) dated the 22nd September, 2008, S.O. 648(E) dated the 9th March, 2009, S.O. 880(E) dated the 30th March, 2009, S.O. 905(E) dated the 2nd April, 2009, S.O. 906(E) dated the 2nd April, 2009 and S.O. 1621(E), dated the 2nd July, 2009.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.